परंपरागत उद्योगो के पुनर्सृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) के संशोधित दिशानिर्देश (दिनांक 02.03.2020 को अनुमोदित)

1. उद्योगों एवं ग्रामीण उद्यमों हेतु अधोसंरचना सहायता एवं संवर्धन (इंस्पायर) :-

1.1 उद्योग/कारीगरों द्वारा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने, प्रतिस्पर्धी बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखने और प्रौद्योगिकी संतुलन द्वारा निर्यात हेतु तैयार रहने के लिए गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना सहायता की आवश्यकता होती है। कारीगरों और उद्यमों के लिए अधोसंरचना के निर्माण के अलग-अलग दृष्टिकोण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और वर्तमान उद्यमों द्वारा बाजार अनुकूल उत्पादों के उत्पादन हेतु बहुत अनुकूल नहीं है। हितधारकों, राज्य सरकारों के साथ उचित परामर्श के बाद और व्यवसाय करने में आसानी, योजना को सरल, सुगम्य, पारदर्शी, निगरानी योग्य और डीबीटी का अनुपालन करते हुए, वर्तमान योजनाओं के लक्ष्यों एवं भूमिका में स्पष्टता लाने के लिए अभिसरण हेतु संशोधित और सरलीकृत किया गया है।

1.2 इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत 02 घटकों के माध्यम से उनके विकास हेतु अधोसंरचना के प्रावधान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता मिलेगी :

ए	परंपरागत उद्योगो के पुनर्सृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)
बी	सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)

1.3 इन घटकों का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास हेतु अधोसंरचना सुविधा प्रदान करना है।

1.4 परंपरागत उद्योग को निम्नानुसार व्यापक रूप से विभाजित किया गया है :

I. खादी उद्योग ;
II. ग्रामोद्योग ; और
III. कयर उद्योग

इसका विवरण अनुलग्नक -1 में दिया गया है।

2. स्फूर्ति योजना के उद्देश्य

इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है :

i. प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने एवं बड़ी मात्रा में सहायता प्रदान करने के लिए परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टर के रूप में संगठित करना ;
ii. परंपरागत उद्योग मे लगे कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए निरंतर रोजगार प्रदान करना;
iii. नए उत्पाद, डिजाइन इंटरवेंशन हस्तक्षेप, बेहतर पैकेजिंग और विपणन अधोसंरचना के सुधार हेतु सहायता प्रदान कर ऐसे क्लस्टर के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाना;
iv. सहायक क्लटर के परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट के माध्यम से

बेहतर कौशल और क्षमता प्रदान करना ;

v. बुनियादी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कारीगरों हेतु सामान्य सुविधाओं और बेहतर उपकरणों का प्रावधान करना;

vi. हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना, ताकि वे सामने आने वाली चुनौतियों सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हो सके और सुसंगत तरीके से उनका समाधान कर सकें।

vii. नवीन और परंपरागत कौशल, उन्नत प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रिया, बाजार की सूझ-बूझ और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के नए मॉडल बनाना, ताकि क्लस्टर-आधारित पुनर्सृजित परंपरागत उद्योगों के समकक्ष मॉडल को दोहराया जा सके;

viii. एकीकृत मूल्य श्रृंखला सहित बहु-उत्पाद क्लस्टर की स्थापना और व्यवहार्यता एवं क्लस्टर की दीर्घकालिक स्थिरता हेतु एक सशक्त बाजार संचालित दृष्टिकोण का पता लगाना ;

ix. क्लस्टर के गठन और संचालन की प्रत्येक गतिविधि के साथ डिजाइन चरण से अभिसरण सुनिश्चित करना;

x. क्लस्टर के लक्षित ग्राहकों की पहचान करना एवं समझना, उनकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को समझना और आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पाद पद्धति विकसित और प्रस्तुत करना। क्रेता वर्ग पर पर्याप्त फोकस करना चाहिए, जो खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के प्राकृतिक, पर्यावरण अनुकूल, शुद्ध रूप से प्राप्त एवं उसकी विशिष्टता पर ज्यादा ध्यान देते हैं ;

xi. लक्ष्य उपभोक्ता वर्ग की आवश्यकता के आधार पर वर्तमान में प्रस्तुत विषम उत्पादों की विविध श्रेणी से विशिष्ट उत्पाद लाइन विकसित करना। मूल्य संवर्धन हेतु ब्रांड एकीकरण कार्य भी किया जाना चाहिए;

xii. उचित ब्रांडिंग, मिश्रित उत्पाद पर फोकस और सही स्थिति के साथ आपूर्ति संचालित बिक्री मॉडल से बाजार संचालित मॉडल आदर्श स्थानांतरण और प्रत्येक फोकस श्रेणी के लिए प्रस्ताव को समग्र एवं इष्टतम बनाने हेतु सही स्थिति और उचित मूल्य निर्धारण करना;

xiii. ई-कॉमर्स का एक प्रमुख विपणन चैनल के रूप में लाभ उठाना और बढ़ते बाजार में ई-कॉमर्स के प्रवेश को देखते हुए, ई-रिटेल स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए त्वरित रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है; और

xiv. उत्पाद डिजाईन और गुणवत्तापूर्ण सुधार के क्षेत्र में पर्याप्त विनिवेश करना। इनपुट और प्रक्रिया की गुणवत्ता को मानकीकृत करने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बेंचमार्क प्राप्त हो सके। वर्तमान बाज़ार के रुझानों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु नई बुनावट और परिष्करण विकसित करने हेतु अनुसंधान की आवश्यकता है।

3. परियोजना सहायता (इंटरवेंशन)

योजना में तीन प्रकार के इंटरवेंशन 'सॉफ्ट इंटरवेंशन', 'हार्ड इंटरवेंशन' और 'थिमेटिक इंटरवेंशन' शामिल होंगे।

3.1 सॉफ्ट इंटरवेंशन

परियोजना के अंतर्गत सॉफ्ट इंटरवेंशन में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होगी :

i. सामान्य जागरूकता, परामर्श, प्रेरणा और विश्वास निर्माण;
ii. संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रदान करने हेतु विभिन्न कौशल की जानकारी देना आवश्यक है ;
iii. संस्था का विकास;
iv. एक्सपोज़र विज़िट;
v. बाजार संवर्धन पहल;
vi. डिजाइन और उत्पाद विकास;
vii. प्रौद्योगिकी उन्नयन संबंधी सेमिनार, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना;

3.2 हार्ड इंटरवेंशन

हार्ड इंटरवेंशन में निम्नलिखित सुविधाओं का सृजन शामिल होगा :

i. जहाँ भी ज़रूरत हो, बहु-उत्पादों और पैकेजिंग के लिए बहु-सुविधाएं;
ii. सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी);
iii. कच्चे माल के बैंक (आरएमबी);
iv. उत्पादन अधोसंरचना का उन्नयन;
v. उपकरण और तकनीकी उन्नयन जैसे-चरखे में सुधार, टूल किट वितरण इत्यादि।
vi. भण्डारण की सुविधा;
vii. प्रशिक्षण केंद्र;
viii. मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण केंद्र /बहु-उत्पाद।

नोट : कच्चे माल बैंक (आरएमबी) के लिए सहायता बढ़ी हुई क्रेडिट का लाभ वित्तीय संस्थान के साथ प्रदान किया जाएगा।

3.2 थिमेटिक इंटरवेंशन

उपरोक्त उल्लिखित हार्ड एवं सॉफ्ट घटक के अलावा, इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्र में विभिन्न क्लस्टर सहित क्रॉस कटिंग थिमेटिक इंटरवेंशन संबंधित सहायता की जाएगी। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. ब्रांड निर्माण और प्रचार अभियान;
ii. न्यू मीडिया मार्केटिंग;
iii. ई-कॉमर्स पहल;
iv. नवोन्मेष;
v. अनुसंधान और विकास की पहल; तथा
vi. मौजूदा और प्रस्तावित समूहों के साथ संस्थागत संपर्क विकसित करना

नोट: ये इंटरवेंशन उदाहरण हेतु दिए गए हैं और परियोजना में क्लस्टर हेतु अन्य महसूस की गई जरूरतों (जैसे कि डीपीआर में विस्तृत और एसएससी द्वारा अनुमोदित) को शामिल किया जा सकता है, जो क्लस्टर उद्यमों को उनकी प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में सक्षम बनाएगी।

4. संस्थागत व्यवस्था

योजना की चुनौतियों और व्यापक भौगोलिक कवरेज को देखते हुए, एक कुशल योजना प्रबंधन संरचना और वितरण प्रणाली प्रस्तावित की गयी है।

4.1 योजना संचालन समिति (एसएससी)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) योजना को समग्र नीति, समन्वय और प्रबंधन सहायता प्रदान करने वाला समन्वय मंत्रालय होगा। अनुलग्नक-2 में दिए गए विवरण के अनुसार सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में योजना संचालन समिति (एसएससी) का गठन किया जाएगा। एसएससी कार्यात्मक जरूरतों के आधार पर उद्योग परिसंघों, अनुसंधन एवम् संस्थानों और अन्य निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ संगठनों के सदस्यों/विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में प्रतिनिधि सहयोजित कर सकती है। एसएससी नोडल अभिकरणों (एनए) द्वारा प्रस्तुत क्लस्टर एवं कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) के प्रस्ताव पर विचार करेगी और क्लस्टर प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करेगी। क्लस्टर प्रस्ताव में नोडल अभिकरणों (एनए) द्वारा प्रस्तुत तकनीकी अभिकरणों (टीए) और कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) का विवरण शामिल होगा। एसएससी योजना के मूल उद्देश्य को प्रभावित किये बिना गतिविधियों और संबन्धित निधि का अंतर-क्षेत्रीय समायोजन कर सकती है।

4.2 नोडल अभिकरण (एनए)

4.2.1 परंपरागत उद्योगों के प्रमुख उप-क्षेत्रों में क्षेत्रीय विशेषज्ञता वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएँ इस योजना की नोडल अभिकरण (एनए) होंगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), खादी और ग्रामोद्योगी क्लस्टर हेतु और कयर बोर्ड (सीबी) कयर आधारित क्लस्टर हेतु नोडल अभिकरण होगा।

4.2.2 इसको विस्तारित करने और क्लस्टर विकास में क्षमता स्थापित करने एवं संशोधित स्फूर्ति के परियोजना प्रबंधन एवं बाजार तक पहुंच बनाने की सुविधा के लिए, एसएससी द्वारा नई नोडल एजेंसियों (एनए) के चयन और नियुक्ति की आवश्यकता है। परंपरागत उद्योगों के प्रमुख उप-क्षेत्रों में क्षेत्रीय विशेषज्ञता, क्लस्टर विकास में दक्षता, परियोजना प्रबंधन और बाजार तक पहुंच की सुविधा और पिछले पांच वर्षों से क्लस्टर विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही प्रतिष्ठित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर की संस्थाएँ नोडल अभिकरण (एनए) होने चाहिए। निम्नलिखित कोई भी संस्था नोडल अभिकरण (एनए) हो सकती है :

i) सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत कोई समिति;

ii) उपयुक्त विधान के अंतर्गत पंजीकृत कोई सहकारी समिति;

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुच्छेद 465 (1) के अंतर्गत उत्पादक कंपनी;

iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी; अथवा

v) कोई न्यास (ट्रस्ट)

ऐसे नोडल अभिकरण (एनए) को केवीआईसी, कयर बोर्ड या किसी अन्य को न दिये गये क्लस्टर दिये जाएंगे।

4.2.3 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नियुक्त अन्य नोडल एजेंसियां निम्नानुसार है:

1.	भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, गुवाहाटी (आईआईईजी)
2.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद (निमस्से)
3.	राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड़), नोएडा
4.	उद्यमशीलता विकास संस्थान, ओडिशा
5.	जम्मू व कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, श्रीनगर
6.	इंडियन सूक्ष्म उद्यम विकास फाउंडेशन, नई दिल्ली
7.	फाउंडेशन फॉर एमएसएमई क्लस्टर, नई दिल्ली
8.	हैंडीक्राफ्ट विकास निगम परिषद, नई दिल्ली
9.	केंद्रीय हैंड टूल संस्थान, जलंधर
10.	हैंड टूल डिजाईन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, नागपुर
11.	केंद्रीय टूल रूम, लुधियाना
12.	केंद्रीय टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता
13.	केंद्रीय टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर
14.	इंडो डेनिश टूल, जमशेदपुर
15.	टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी
16.	इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद
17.	इंडो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद
18.	इंडो-जर्मन टूल रूम, इंदौर
19.	इलेक्ट्रिकल मापक उपकरण डिजाईन संस्थान, मुंबई

20.	इलेक्ट्रोनिक सर्विस एवं ट्रेनिंग सेंटर, रामनगर
21.	केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै
22.	ग्लास उद्योग विकास केंद्र, फिरोजाबाद
23.	केंद्रीय टूल डिजाईन संस्थान, हैदराबाद
24.	केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान, आगरा
25.	फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कन्नौज
26.	प्रोसेस –कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, मेरठ

4.2.4 क्लस्टर स्थापना की योजना के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करना:

योजना के अधीन क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव योजना के तहत सूचीबद्ध किसी भी नोडल अभिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा (पैरा-4.2.1 और 4.2.3)। (जब तक ऑनलाइन पोर्टल सक्रिय नही होता है, तब तक मैनुअल प्रस्ताव किसी भी नोडल अभिकरण को भेजे जा सकते हैं।)

इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त ऑनलाइन आवेदन सॉफ्टवेयर विकसित/सक्रिय होने तक एसएससी हेतु नोडल अभिकरणों से प्रस्ताव मंत्रालय को भौतिक रूप में भेजे जा सकते हैं।

4.2.5 नए नोडल अभिकरण की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश :

ए. प्रस्ताव प्रस्तुत करना :

क्लस्टर विकास की संचालक नोडल अभिकरण के रूप में सूचीबद्ध होने की इच्छुक संस्था/ एजेंसी/ट्रस्ट/कंपनी अपने प्रमुख से आवश्यक अनुलग्नक और पृष्ठांकन सहित यथा आवश्यक अनुलग्नक-3 के रूप में निर्धारित प्रोफॉर्मा में नए नोडल अभिकरण (एनए) की नियुक्ति का प्रस्ताव (एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी) निम्नलिखित पते पर भेजा जाए:-

संयुक्त सचिव (एआरआई प्रभाग),
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
कमरा-171, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110011
दूरभाष : (011) 2306154, टेलिफ़ैक्स : (011) 23062858
ई-मेल: js.ari@nic.in

बी. मूल्यांकन एवं अनुमोदन :

नोडल अभिकरण नियुक्त करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन क्लस्टर विकास के संवर्धन में इकाई के पिछले रिकॉर्ड, योग्यता और कार्यनीति के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा गठित योजना संचालन समिति द्वारा किया जाएगा । एसएससी नामित नोडल अभिकरण के अनुमोदन हेतु अंतिम निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण को संपूर्ण कार्यनिष्पादन एवं अनुमोदन के आधार पर सहायता जारी की जाएगी। योजना संचालन समिति द्वारा मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों पहलूओं के आधार पर कार्यनिष्पादन की मॉनिटरिंग की जाएगी । प्रगति में अत्यंत कमी पायी जाने पर, एसएससी के अनुमोदन से मध्यावधि में ही सहायता रोकी जा सकती है ।

सी. नए नोडल अभिकरण हेतु अनुदान सहायता की शर्तें :

एमएसएमई मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित अभिकरणों के अलावा अन्य अभिकरणों के लिए अनुदान की शर्तें अनुलग्नक-4 में दी गई हैं।

4.2.6 योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन हेतु नोडल अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक नोडल अभिकरण में परियोजना स्क्रीनिंग कमेटी (पीएससी) का गठन किया जाएगा। केवीआईसी और कयर बोर्ड के अलावा अन्य नोडल अभिकरण भी पीएससी का गठन करेंगे, जिसमें 3 क्लस्टर विशेषज्ञ (टीए से 2 और आईए से 1), बैंक, विपणन और वित्तीय विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। [विवरण अनुलग्नक-5 में है]

4.2.7 नोडल अभिकरणों की भूमिका :

नोडल अभिकरणों की भूमिका और उत्तरदायित्व में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. तकनीकी अभिकरणों को सूचीबद्ध और नियुक्त करेगा। नोडल अभिकरण स्फुर्ति कार्यान्वयन हेतु तकनीकी अभिकरण की नियुक्ति के बारे में उद्योग, राज्य सरकारों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/संगठनों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी संबंधित हितधारकों को जानकारी देगा और विधिवत अधिसूचित करेगा;

ii. नोडल अभिकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी अभिकरण के लिए आवश्यक सभी सहायता जैसे कि क्लस्टर की स्थापना हेतु सरकारी अनुमोदन, पर्यावरण मंजूरी आदि प्रदान करेगा;

iii. उप-क्षेत्र थीमेटिक इंटरवेंशन हेतु रणनीति और कार्ययोजना तैयार करेगा;

iv. स्पष्ट रूप से योजना की व्यवहार्यता, आउटपुट, परिणाम, प्रभाव और स्थिरता स्थापित करने वाली उचित कार्यप्रणाली के आधार पर टीए से प्राप्त डीपीआर का मूल्यांकन करना;

v. निम्नलिखित सुनिश्चित करने के बाद अनुमोदन हेतु मंत्रालय/एसएससी को डीपीआर प्रस्तुत करना:

ए) लागत अनुमान, समय-सीमा आदि के साथ इंटरवेंशन के विशेष विवरण सहित योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए मानक टेम्पलेट के अनुसार डीपीआर तैयार करना।

बी) दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार कार्यान्वयी अभिकरण की पहचान और परियोजना विशेष एसपीवी का गठन।

सी) कार्यान्वयी अभिकरण और सदस्यों के बीच शेयरहोल्डर अनुबंध और अन्य संबंधित अनुबंध निष्पादित करना।

डी) कार्यान्वयी अभिकरण के नाम से पंजीकृत बिक्री अथवा लीज डीड (15 वर्ष या उससे अधिक लंबी अवधि के लिए) के अनुसार कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा सामान्य सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का प्रबध।

ई) कार्यान्वयी अभिकरण के हिस्से के रूप में 10% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 5%) राशि की उपलब्धता की पुष्टि ।

vi. कार्यक्रम निधि प्रबंधन सहित परियोजना (परियोजनाओं) की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अभिकरण (टीए) की सिफारिश पर कार्यान्वयी अभिकरण को समय पर निधि संवितरण हेतु नोडल अभिकरण जिम्मेदार होंगे;

vii. तकनीकी अभिकरण (टीए) के कार्यनिष्पादन की समी़क्षा;

viii. कार्यान्वित किए जा रहे क्लस्टर परियोजना की मॉनिटरिंग एवम् मूल्यांकन;

ix. नोडल अभिकरणों को एसएससी को सूचित करते हुए (निर्णय लेने के 15 दिनों के अंदर) निम्नलिखित के संबध में निर्णय लेने हेतु शक्तियाँ प्रदान की हैं: -

ए) इंटरवेंशन की लागत में बदलाव अर्थात हार्ड इंटरवेंशन/सॉफ्ट इंटरवेंशन/थिमेटिक इंटरवेंशन (इसकी अनुमति तभी होगी जब लागत अनुमोदित लागत के बराबर अथवा उससे कम होगी)

बी) तकनीकी अभिकरण (टीए) में बदलाव

सी) सीडीई में बदलाव

डी) कार्यान्यवयी अभिकरण (आईए) में बदलाव

ई) अनुमोदित लागत के भीतर सन्यंत्र व मशीनरी में बदलाव

एफ) क्लस्टर के उसी जिले/ सहभागी गाँवों के भीतर ही क्लस्टर में बदलाव

x. आयोग एवम् कयर बोर्ड सहित सभी नोडल अभिकरणों को कार्यान्यवयी अभिकरण (आईए)/एसपीवी के समर्पित खाते में सीधे तौर पर निधि जारी करनी चाहिए;

xi. नोडल अभिकरण आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्यान्यवयी अभिकरण (आईए) से यह शपथपत्र लेगा कि कार्यान्यवयी अभिकरण ने किसी केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसी से संबंधित क्लस्टर हेतु किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता का लाभ नही लिया है;

xii. नोडल अभिकरण (एनए) द्वारा सभी क्लस्टरों की जियो-टैगिंग सुनिश्चित करना । वर्तमान क्लस्टर सहित सभी क्लस्टर में सीसीटीवी के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाने चाहिए; तथा

xiii. एसएससी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य;

xiv. सभी नोडल अभिकरणों (एनए) को एसएससी से अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने के लिए डीपीआर चरण में प्रस्ताव हेतु आवश्यक सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्परता से कार्य करना होगा।

4.3 तकनीकी अभिकरण (टीए)

4.3.1 कुटीर और लघु उद्यम क्लस्टर विकास में विशेषज्ञता प्राप्त प्रमाणित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को स्फुर्ति क्लस्टर को नजदीकी प्रत्यक्ष और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने हेतु तकनीकी अभिकरणों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तकनीकी अभिकरण नोडल अभिकरणों और कार्यान्वयी अभिकरणों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा । तकनीकी अभिकरणों की जिम्मेदारी में क्लस्टर कार्ययोजना तैयार करना और उसकी पुष्टि, क्लस्टर विकास कार्यकारियों (सीडीई) तथा कार्यान्वयी अभिकरणों और नोडल अभिकरणों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना, मासिक/तिमाही आधार पर क्लस्टर की नियमित आधार पर मॉनिटरिंग करना और नोडल अभिकरणों के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तिमाही आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।

4.3.2 तकनीकी अभिकरणों की भूमिका:

तकनीकी अभिकरणों की भूमिका और जिम्मेदारी में निम्नलिखित शामिल होगा:

i) योजना के बारे में क्लस्टरों में सुग्राहीकरण और जागरूकता सृजन;

ii) सम्भावित कार्यान्वयी अभिकरणों की पहचान।

iii) घरेलु और विदेशी बाजार हेतु क्लस्टर के लिए मुख्य उत्पादों और उत्पाद मिश्रण को पहचानना। क्लस्टर में बहु-उत्पादों को भी शामिल किया जा सकता है और दिए गए बजट आवंटन तथा डीपीआर के अनुमोदन के अनुसार समीपवर्ती मुख्य क्लस्टर में क्लस्टर के अन्य उपलब्ध नेटवर्क के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

iv) एसएससी के अंतिम अनुमोदन हेतु विस्तृत डीपीआर को तैयार करना, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होना चाहिए- आत्म-निर्वाह हेतु व्यावसायिक मॉडल, कारीगरों का कौशल

उन्नयन, नए कौशल प्राप्त करना, परियोजना के लिए भौतिक और वित्तीय परिणाम लक्ष्य निर्धारित करना, कारीगरों की उत्पादकता और अर्जन की प्रस्तावित प्रतिशत बढ़ोतरी, ब्रांड निर्माण, उत्पाद खंड, नियमित प्रचार माध्यमों द्वारा संवर्धन और विज्ञापन तथा मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी, स्पष्ट लक्ष्य के साथ निर्यात के संभावित अवसरों का पता लगाना।

v) परियोजना विशेष एसपीवी की स्थापना और संरचना में चिन्हित कार्यान्वयी अभिकरण की सहायता करना।

vi) अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की जाँच करने में नोडल अभिकरण/एसएससी की सहायता करना।

vii) तकनीकी अभिकरण योजनाएँ तैयार करने, अनुमोदन प्राप्त करने, वैधानिक संस्थाओं से अनापत्ति प्राप्त करने, उत्पादों के मूल्यवर्धन हेतु उपयुक्त तकनीक/उपकरणों की पहचान करने में कार्यान्वयी अभिकरण की सहायता करेगा और कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा भूमि की पहचान करने के पश्चात सीएफसी की स्थापना में कार्यान्वयी अभिकरण की सहायता करेगा। एक से अधिक सीएफसी की भी अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि क्लस्टर में उच्च उत्पादकता लाने हेतु माँग उचित हो। तकनीकी अभिकरण (टीए) विभिन्न सेवाओं के लिए एजेंसियों / विशेषज्ञों के चयन में और विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए उपयुक्त परिचालन ढांचे को विकसित करने में कार्यान्वयी अभिकरणों की सहायता करेगा और परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर निगरानी और निधि के संवितरण में भी सहायता करेगा और अंत में तकनीकी अभिकरण (टीए) कार्यान्वयी अभिकरण को क्लस्टर बहिर्गमन रणनीति के लिए एक स्थिरता रोडमैप तथा परियोजना की अवधि के बाद क्लस्टर के व्यावसायिक संचालन हेतु योजना तैयार करेगा।

viii) तकनीकी अभिकरण (टीए) उपयुक्त उपयोगकर्ता शुल्क के आधार पर राजस्व मॉडल का विवरण देते हुए एक उपयुक्त व्यवसाय योजना बनाने, उत्पादकता के संदर्भ में अनुमानित परिणाम प्राप्त करने के लिए एसपीवी को सक्षम करने हेतु इसे इकट्ठा करने की प्रणाली तैयार करने, बिक्री, रोजगार, मजदूरी में वृद्धि, डीपीआर में अनुमानित क्लस्टर की समग्र आय में सहायता करेगा ;

ix) तकनीकी अभिकरण (टीए) को नोडल अभिकरण**,** कार्यान्वयी अभिकरण और अन्य हितधारकों के परामर्श से डिज़ाइन, उत्पाद प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और उचित पैकेजिंग के उपयुक्त इनपुट प्रदान करने हेतु संदर्भ की समुचित शर्तों और कार्य की विस्तृत संभावना के साथ डिज़ाइन हाउस/डिज़ाइनर की नियुक्ति में कार्यान्वयी अभिकरण/ एसपीवी की सहायता करनी चाहिए।

x) व्यापार विकास सेवा प्रदाताओं (बीडीएस) की नियुक्ति, उपकरणों की आउट सोर्सिंग/सुधार, जहां तक संभव हो क्रेडिट लिंकेज के लिए रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने में कार्यान्वयी अभिकरण/एसपीवी की सहायता करनी चाहिए ;

xi) तकनीकी अभिकरण) टीए(विभिन्न सूक्ष्म और अति- सूक्ष्म स्तर के उपकरण और मशीनरी तथा अन्य प्रक्रियाओं के साथ, जैसा कि डीएपीआर में चिन्हित और उल्लेखित किया गया है, कच्चे माल की खरीद की योजना बनाने में आईए/सीडीई को सलाह देगा। डीपीआर के अनुसार क्लस्टर स्तर के हस्तक्षेप के एक भाग के रूप में कारीगरों को उपकरण/किट और चरखे/औजार भी वितरित किए जा सकते हैं। टीए को कारीगरों के बीच उपकरण /किट/चरखा/औजारो के वितरण

के लिए क्लस्टर स्तरीय समिति द्वारा विधिवत जांच की गई एक उचित, समुचित और पारदर्शी प्रणाली स्थापित करने में आईए की सहायता करनी चाहिए;

xii. निम्नलिखित के संबंध में तकनीकी अभिकरण (टीए) नोडल अभिकरण (एनए) और कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) के परामर्श से एक विपणन रणनीति और विस्तृत योजना तैयार करेगा:

ए) उत्पाद विकास

बी) पैकेजिंग

सी) उत्पाद मूल्य निर्धारण

डी) उत्पाद की स्थिति और संवर्धन

ई) उत्पाद मिश्रण / विविधीकरण

एफ) ऑफ़लाइन मार्केटिंग मोड के अंतर्गत डीलर / डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क

जी) ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ई-कॉमर्स का उपयोग।

एच) आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स का निर्धारण

आई) उत्पाद की गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करना

जे) उचित हस्तक्षेप के माध्यम से निर्यात क्षमता का उपयोग करना

xiii. विविध गतिविधियाँ जिन्हें कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और तकनीकी अभिकरण (टीए) द्वारा उसके निकट पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी:

ए) कारीगरों में जागरूकता और एक्स्पोजर विजिट ।

बी) जन धन योजना के तहत कारीगरों द्वारा बैंक खाता खोलना।

सी) केवीआईसी नियमों के अंतर्गत क्लस्टर के सभी कारीगरों का स्वास्थ्य बीमा (जन श्री बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसा भी लागू हो)

डी) प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंतर्गत नामांकन, जिसमें 18-50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को रु. 330 प्रति वर्ष, या जो भी लागू हो, के प्रीमियम पर रु. 2.00 लाख का नवीकरणीय एक वर्ष का जीवन कवर प्रदान करेगी, इसमें किसी भी कारण से हुई मृत्यु को कवर किया जाएगा ।

ई) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत नामांकन, जिसमें 18-70 आयु वर्ग के सभी बचत बैंक खाताधारकों को आंशिक/स्थायी विकलांगता के लिए प्रति अभिदाता (सब्सक्राइबर) 12 रुपये प्रति वर्ष या जो भी लागू हो, के प्रीमियम पर रु. 2.00 लाख की नवीकरणीय एक वर्षीय आकस्मिक मृत्यु-सह-विकलांगता कवर प्रदान किया जाएगा।

एफ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक दायित्वों सहित लाभ, विशेषाधिकारों, अधिकारों के साथ-साथ उनकी विशिष्ट जिम्मेदारियों का उल्लेख करने वाले कारीगरों को आधार आधारित पहचान पत्र जारी करना।

जी) अटल पेंशन योजना का केंद्र असंगठित क्षेत्र होंगे और ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु से शुरू करके अभिदाता (सब्सक्राइबर) रु. 1000, रु. 2000, रु. 3000, रु. 4000 या रु. 5000 प्रति माह निश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी, जो 18 और 40 साल की आयु में प्रवेश करने पर दिए गए योगदान विकल्प पर निर्भर करेगा। पेंशन और इसी तरह के अन्य वित्तीय लाभ, जो लागू हो, आधार से जुड़े होने पर ही प्रदान किए जाएँगे।

एच) कारीगरों का आवधिक प्रशिक्षण।

आई) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को भी इन सामान्य और विविध सहायता की सुविधा प्रदान की जा सकती है, जैसा कि क्लस्टर कार्यक्रम के अंतर्गत कारीगरों को दी जाती है।

xiv. तकनीकी अभिकरण (टीए) क्लस्टर्स के सुचारू रूप से चलने के लिए ब्रांडिंग, ई-मार्केटिंग, न्यू मीडिया मार्केटिंग, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बिजनेस विकास रणनीति, क्रेता-विक्रेता बैठकें और विषयगत हस्तक्षेप के कार्यान्वयन की योजना बनाने में आईए/एसपीवी की सहायता करेगा।

xv. परियोजना के लिए अतिरिक्त धन जुटाने में एसपीवी की सहायता करना। इसमें बैंकों से ऋण लेने हेतु सहायता करने के अलावा सरकार की प्रासंगिक योजनाओं के तहत प्रस्ताव तैयार करना शामिल है।

xvi. तकनीकी अभिकरण (टीए) एसपीवी और विभिन्न अन्य हितधारकों, विशेष रूप से सरकारी संगठन, खरीदारों और वित्तीय संस्थानों के बीच संपर्क बनाने की सुविधा प्रदान करेगा।

xvii. तकनीकी अभिकरण (टीए) संबंधित प्रकार के क्लस्टर के लिए आवंटित अधिकतम सीमा के भीतर क्लस्टर के लिए समुचित तकनीक निर्माण करने में उपयुक्त तकनीकी सलाहकारों की पहचान करने में सुविधा प्रदान करेगा।

xviii. तकनीकी अभिकरण (टीए) कारीगरों और हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नोडल अभिकरण (एनए) के परामर्श से और समूहों की आवश्यकता के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को समूहीकृत करने की योजना बनाएगा। तदनुसार, तकनीकी अभिकरण (टीए) प्रशिक्षण

संस्थानों की पहचान करने में सहायता करेगा, जो क्लस्टर के अनुसार पाठ्यक्रम की अवधि, शुल्क और अन्य आवश्यक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

xix. अंतिम अनुमोदन के लिए एसएससी के समक्ष डीपीआर प्रस्तुत करने से पहले राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों से अनुमोदन, यदि कोई है, प्राप्त करने में नोडल अभिकरण (एनए) की सहायता करना।

xx. तकनीकी अभिकरण (टीए) मासिक और त्रैमासिक आधार पर नोडल अभिकरण और एमएसएमई मंत्रालय को प्रगति रिपोर्ट की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करेगा।

xxi. परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तकनीकी अभिकरण (टीए), एमएसएमई मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य, हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) की प्रकृति में कोई परिवर्तन, कार्यान्वयन कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्धन (addition)/संशोधन (alteration), आदि जो किसी भी समय हो सकते हैं, उन पर परियोजना अवधि के दौरान किसी भी अतिरिक्त लागत के बगैर, निष्पादन हेतु तकनीकी अभिकरण (टीए) द्वारा पूरी अच्छी तरह से विचार किया जाना चाहिए।

xxii. परियोजना के अंत में, तकनीकी अभिकरण (टीए) संपूर्ण गतिविधियों को शामिल करते हुए उचित दस्तावेज तैयार करेगा, उत्पादकता और बिक्री के मामले में परिणामों की स्पष्टता सहित एक अंतिम-परियोजना रिपोर्ट के साथ केस स्टडी और फोटो/वीडियो प्रलेखन तैयार करेगा। परियोजना की शुरुआत में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त परिणामों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

xxiii. कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) के लिए एक बहिर्गमन (exit) रणनीति तैयार करें और परियोजना की अवधि के बाद अगले पांच वर्षों के लिए एक व्यावसायिक योजना के साथ क्लस्टर के लिए स्थिरता रोडमैप तैयार करें।

xxiv. सूचीबद्ध तकनीकी अभिकरण (टीए) को उपयुक्त कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) की पहचान करने की अनुमति है।

xxv. तकनीकी अभिकरण (टीए) को एसएससी से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए डीपीआर स्तर पर प्रस्तावों के लिए आवश्यक सभी नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तत्परता से काम करना होगा।

4.4 नोडल अभिकरण (एनए) द्वारा तकनीकी अभिकरण (टीए) को शुल्क का भुगतान प्रति क्लस्टर आधार पर किया जाएगा; यह योजना एक शुल्क आधारित सफल मॉडल को प्रोत्साहित करेगी, जो प्राप्त उपलब्धियों के साथ जुड़ी होगी।

4.5 कार्यान्वयी अभिकरण (आईए):

कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) क्लस्टर विकास को शुरु करने हेतु उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थान और अर्ध-सरकारी संस्थान, राज्य और

केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संस्थाएँ, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) आदि होंगी । एक कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) को सामान्यतया केवल एक ही क्लस्टर दिया जाएगा (जब तक कि यह राज्य-व्यापी कवरेज वाली एजेंसी न हो)। यद्यपि, यदि कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) अधिक क्लस्टर (क्लस्टर्स) स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है तो नोडल अभिकरणों को अतिरिक्त क्लस्टर (क्लस्टर्स) स्थापित करने की कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) की क्षमता का सही मूल्यांकन करना होगा । कार्यान्वयी अभिकरणों का चयन, उनकी क्षेत्रीय प्रतिष्ठा और जमीनी स्तर पर काम करने के अनुभव के आधार पर, पारदर्शी मानदंडों के आधार पर नोडल अभिकरणों (एनए) द्वारा किया जाएगा।

क्लस्टर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। कॉरपोरेट इकाइयां भी क्लस्टर-विशिष्ट एसपीवी बनाकर सीधे परियोजनाएं ले सकती हैं।

क्लस्टर विकास में विशेषज्ञता के साथ कॉरपोरेट्स और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फाउंडेशनस को कार्यान्वयी अभिकरणों के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां एक निजी क्षेत्र की इकाई कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) है, तो वह भूमि की लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत का कम से कम 50% योगदान देगी।

4.6 एसपीवी का गठन

4.6.1 (ए) कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) द्वारा अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एसपीवी का गठन अनिवार्य है । एसपीवी का उद्देश्य परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि समाप्त होने के बाद क्लस्टर को विकसित करना और जीवित रखना होगा। प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक एसपीवी का गठन किया जाएगा जो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है:

i) सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत कोई समिति;
ii) उपयुक्त विधान के अंतर्गत पंजीकृत कोई सहकारी समिति;
iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुच्छेद 465 (1) के अंतर्गत उत्पादक कंपनी;
iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी; अथवा
v) कोई न्यास (ट्रस्ट)
v) एसएससी की पूर्व स्वीकृति से अन्य कोई विधिक इकाई ।

(बी) प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक एसपीवी का गठन किया जाएगा, जिसके संचालक मंडल/ प्रबंधन समिति, जिस भी नाम से पुकारा जाता हो, में न्यूनतम 33% कारीगरों का प्रतिनिधित्व होगा, कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) होने के मामले में केवीआईसी की खादी संस्थाओं (केआई) को छोड़कर, क्योंकि

खादी संस्थाएँ पहले से ही मानित एसपीवी हैं और केवीआईसी मॉडल में एसपीएवी की भूमिका निभाने का समय केवल कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) के बहिर्गमन के समय ही आता है।

(सी) यदि पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) क्लस्टर स्तर पर कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) बनने की इच्छा रखते हैं, तो यह सुनिश्चित करते हुए एसपीवी का गठन कर सकता है कि क्लस्टर सूक्ष्म उद्यम/लाभार्थी का हिस्सा एसपीवी के संचालक मंडल में कुल इक्विटी का न्यूनतम 33% हो।

(डी) निजी क्षेत्र द्वारा प्रायोजित एसपीवी के मामले में मुख्य निवेशक/निजी भागीदार की हिस्सेदारी सामान्य रूप से कुल इक्विटी का 50% से अधिक नहीं होगी।

(ई) कार्यान्वयी अभिकरण (आईए)/एसपीवी नोडल अभिकरण की संतुष्टि के अनुसार एक एकल किस्त में न्यूनतम 25% राशि के साथ चरणबद्ध तरीके से अपना हिस्सा (10% या 5% जैसा भी मामला हो) जमा कर सकता है।

4.6.2 कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) क्लस्टर में एक पूर्णकालिक कार्यकारी को नियुक्त करेगा, जो क्लस्टर विकास कार्यकारी (सीडीई) के रूप में कार्य करेगा, और अनुमोदित डीपीआर के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। सीडीई की जिम्मेदारियों में क्लस्टर की वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन शामिल होगा तथा व्यावसायिक संस्थानों के साथ-साथ पीआरआई सहित स्थानीय संस्थानों के साथ संबंधों को बढ़ावा देगा।

4.7 कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) की भूमिका:

कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) की भूमिका और जिम्मेदारी में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. परियोजना के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णकालिक सीडीई की नियुक्ति करना। सीडीई का चयन 3 विकल्पों में से किया जाना चाहिए अर्थात (i) लाभार्थी समूह के बीच एक स्थानीय सक्षम और सभी को स्वीकार्य सीडीई, (ii) समूह के किसी वर्तमान व्यक्ति को तैयार करना जो एक अच्छा सीडीई बन सके और (iii) बाहरी से किसी सीडीई को भर्ती करना। प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सीडीई का चयन करते समय अतिरिक्त योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता पर विचार किया जाना चाहिए।

ii. यदि किसी बाहरी व्यक्ति को सीडीई के रूप में चुना जाता है, तो एक सक्षम स्थानीय व्यक्ति को सीडीई के सहायक के रूप में चुना जा सकता है, ताकि वित्तीय सहायता बंद कर देने के बाद नियमित सीडीई के क्लस्टर छोड़ने के बाद उसे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार किया जाए।

iii. कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और व्यवस्था करेगा।

iv. अनुमोदित डीपीआर में उल्लिखित विभिन्न हस्तक्षेपों (इंटरवेंशंस) को लागू करना;

v. खरीद करना तथा उचित और पारदर्शी तरीके से ठेकेदारों की नियुक्ति, आवश्यक होने पर,;

vi. कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) क्लस्टर हस्तक्षेप के समय पर पूरा करने और सरकारी अनुदान के उचित उपयोग हेतु नोडल एजेंसी के साथ एक समझौता करेगा;

vii. उपयोगकर्ता-शुल्क आधारित मॉडल के माध्यम से परियोजना के अंतर्गत सृजित संपत्ति का संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम);

viii. निर्धारित प्रारूपों (फोर्मेटस) में नोडल एजेंसी को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार।

ix. कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) क्लस्टर परियोजना के कार्यान्वयन में उनकी सहायता करने के लिए उपयुक्त सूचिबद्ध तकनीकी एजेंसी (टीए) का चयन कर सकता है।

x. कार्यान्वयी अभिकरण (आईए) विभिन्न क्लस्टर हितधारकों की भागीदारी के स्तर को बढ़ाने और परियोजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्लस्टर सलाहकार समूह बनाकर, अधिमानत: जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, और पीआरआई, पारंपरिक उद्योग उद्यमों, सहायक सेवा संस्थानों, बैंकों, आदि से प्रतिनिधित्व के साथ अन्य विभिन्न क्लस्टर हितधारकों और संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करेगा।

5. कार्यान्वयन प्रणाली

5.1 वेब आधारित परियोजना प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) :

5.1.1 इस तरह के पैमाने और कवरेज की योजना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, परियोजना प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) के साथ परियोजनाओं प्रबंधन प्रस्तावों को आमंत्रित करने से लेकर ऑनलाइन स्क्रीनिंग तक प्रबंधन पूरा करने हेतु समर्पित स्फूर्ति वेबसाइट स्थापित करने और इसे पूरा होने तक प्रगति की समवर्ती निगरानी करना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पीएमएस में ऑनलाइन आवेदन, एमआईएस ट्रैकिंग, भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी, रिपोर्ट साझा करने और परियोजना प्रबंधन के अन्य उपकरणों के लिए इन-बिल्ट सिस्टम होंगे। यह प्रणाली सभी संबद्ध संस्थाओं और हितधारकों को परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और योजना के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सहयोगात्मक रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करेगी। वेब-आधारित पीएमएस से विभिन्न कार्यान्वयन मामलों जैसे- समय के अंतराल, अपर्याप्त कवरेज और अन्य जोखिमों और गुणवत्ता संबधी मामलों के समाधान में सहायता मिलेगी।

5.1.2 वेब प्लेटफॉर्म में संभावित नोडल एजेंसियों को आवेदन करने और अपने क्रेडेंशियलस (साख) को अपलोड करने का विकल्प भी प्रदान किया जाएगा, ताकि नोडल एजेंसी के रूप में एजेंसी को पंजीकृत करने हेतु बुलाने के लिए एसएससी की सहायता की जा सके।

5.1.3 वेब प्लेटफ़ॉर्म का ऐसे मॉड्यूल बनाना होगा कि राज्य-वार प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा, उनको छाँटा एवं फ़िल्टर किया जा सके और कार्यान्वयन में विलंब से बचने हेतु इसे सही समय पर राज्य सरकारों को भेजा जा सके। इस प्रणाली के माध्यम से अनुमोदन की मांग करने तक राज्य सरकारों को समय-समय पर स्मरण पत्र भेजना होगा।

5.1.4 नामांकित सभी एनए; टीए को वेबपोर्टल पर इस प्रकार सूचीबद्ध करना होगा कि संभावित आईए को उपलब्ध विकल्प प्रदान किया जा सके।

5.1.5 यह सिस्टम पूरे कार्यप्रवाह में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह के विलंब और गैर-प्रसंस्करण हेतु आवश्यक इनपुट प्रदान करने के लिए वेब आधारित निगरानी प्रणाली के रूप में भी कार्य करेगा।

5.2 क्लस्टरों की संभावित सूची की पहचान करना :

i). नोडल एजेंसियां पहले कार्यान्वयन एजेंसियों की स्पष्ट पहचान के साथ तकनीकी एजेंसियों के परामर्श से संभावित समूहों की राज्य-वार सूची तैयार करेंगी, जो क्लस्टर के प्रबंधन के लिए स्थानीय संचालक होंगे और क्लस्टर के दिन-प्रतिदिन के मामलों को देखेंगे।

ii). परियोजनाओं की पहचान और संरचना के लिए बाजार संचालित दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, ताकि परियोजना की गतिविधियों की व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। क्लस्टर का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए, जहां उत्पादों की बाजार में काफी मांग हो और क्लस्टर को गतिविधियां बढ़ाने और बाजार में उच्च मूल्य के उत्पादों का उत्पादन हेतु विकसित किया जा सकता है।

iii). स्फूर्ति क्लस्टर अधिमानत: मौजूदा क्लस्टर (ब्राउनफील्ड) होने चाहिए और नए क्लस्टर (ग्रीनफील्ड) का क्लस्टर डायनेमिक्स और उत्पाद संभावना के गहन अध्ययन के बाद सावधानी से चयन किया जाना चाहिए।

iv). खादी के अलावा, क्लस्टर में पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों और ग्रामोद्योग को शामिल करना चाहिए, जो केवीआई अधिनियम और मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।

v). स्फूर्ति परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक ग्रामोद्योग के विकास को गति प्रदान करने के लिए वृद्धि कारक अवधारणा को अपनाना है। एक बड़े संदर्भित क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार के दायरे के साथ व्यवस्थित सकारात्मक आकार सृजित करने हेतु परियोजना के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

vi). बहु-उत्पाद क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से अधिक परियोजना कवरेज और क्लस्टर की आर्थिक व्यवहार्यता/स्थिरता के लिए प्रमुख क्लस्टर। ऐसे उत्पाद जो एक दूसरे के लिए सहायक हैं, उन्हें बहु-उत्पाद क्लस्टर हेतु चयन करना आवश्यक है।

vii). व्यापक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर और गतिविधियों का महत्वपूर्ण समूह होना चाहिए। स्फूर्ति के तहत परियोजना को एकीकृत मूल्य श्रृंखला आधारित होना चाहिए और परियोजना को सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के अंतराल को भरने हेतु इंटरवेंशन के साथ संरचित किया जाना चाहिए।

viii). शुरु से अंत तक प्रोडक्ट क्लस्टर; क्लस्टर की व्यवहार्यता को बढ़ाएंगे। परियोजना में यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिक मूल्य प्राप्त करने और उच्च इकाई मूल्य की प्राप्ति के लिए गांव/क्लस्टर स्तर पर पर्याप्त मूल्यवर्धन हो।

ix). यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो क्लस्टर पर ही संपूर्ण मूल्य संवर्धन किया जाना चाहिए, ताकि अधिकतम मूल्य प्राप्ति हो सके।

x). परियोजना की डिजाइन और संरचना विशेष रूप से परियोजना की गतिविधियों की स्थिरता के लिए योजना प्रदान करना चाहिए, विशेष रूप से बहिर्गमन योजना से परियोजना अवधि के बाद।

xi). इस परियोजना को इतना संरचित किया जाना चाहिए कि गतिविधियों रेंज के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा मिल सके। बहु-उत्पाद क्लस्टर के मामले में, प्रत्येक उत्पाद लाइन के लिए विशेष सीएफसी स्थापित करने की संभावना (कच्चे माल के आधार पर) का भी पता लगाया जा सकता है।

xii). परियोजना में क्लस्टर के सभी सदस्यों की भागीदारी और सक्रिय भागीदारी की अनुमति होनी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की परियोजनाओं को क्षेत्र में चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इनका समाधान करना चाहिए।

xiii). सभी एनए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं, जिससे संभावित क्लस्टर की पहचान के लिए नियमित आधार पर योजना को व्यापक प्रचार मिल सके।

5.3 तकनीकी अभिकरणों (टीए) की नियुक्ति

देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित क्लस्टरों की बड़ी संख्या को समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की आवश्यकता है; परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए तकनीकी एजेंसियों (टीएएस) को एक पूल के रूप में यथासंभव कई तकनीकी रूप से सक्षम क्लस्टर विकास संगठनों को सूचीबद्ध करना आवश्यक है।

5.3.1 प्रस्ताव के अनुरोध हेतु प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में एनए द्वारा अभिव्यक्ति की रुचि ईओआई)) प्रकाशित की जाएगी। टीए को उनके प्रस्ताव के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर एनए द्वारा छांटा जाएगा; अधिकांशतः निम्नलिखित आधार पर –

i. संगठन की कुल संपत्ति (नटवर्थ);

ii. समान प्रकृति के कारीगरों और सूक्ष्म उद्यम आधारित विकासात्मक पहल की परियोजनाओं को लागू करने में संगठनात्मक अनुभव;

iii. कार्मिकों और टीम की क्षमता;

iv. भौगोलिक उपस्थिति; तथा

v. एनए/एसएससी द्वारा उपयुक्त समझा गया कोई अन्य मानदंड।

उपरोक्त मानदंडों के आधार पर, टीए की नियुक्ति की जाएगी और विशिष्ट क्लस्टर सौंपा जाएगा। कोई भी अन्य पात्र संस्थान टीए के रूप में नामांकन के लिए एमएसएमई मंत्रालय या किसी भी नोडल एजेंसियों से संपर्क कर सकते है और पात्र और सक्षम किसी भी संस्थान की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए एसएससी अंतिम प्राधिकारी होगी। यह नोट किया जाए कि टीए को क्लस्टर स्तर पर वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके तहत एक टीए को कई क्लस्टर सौंपे जा सकते हैं, लेकिन प्रति टीए 50 क्लस्टर से अधिक नहीं।

5.4 एसएससी का अनुमोदन

परियोजनाओं के अनुमोदन और उनके कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एसएससी उत्तरदायी होगी। मंत्रालय/ एसएससी स्तर पर केवल एक ही चरण में स्वीकृति दी जाएगी।
परियोजना को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एसएससी द्वारा अनुमोदन प्रदान प्रदान किया जाएगा:

i. लागत अनुमान, समय-सीमा आदि के साथ इंटरवेंशन के विशेष विवरण सहित योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए मानक टेम्पलेट के अनुसार डीपीआर तैयार करना।

ii. दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार कार्यान्वयी अभिकरण की पहचान और परियोजना विशेष एसपीवी का गठन।

iii. कार्यान्वयी अभिकरण और सदस्यों के बीच शेयरहोल्डर अनुबंध और अन्य संबंधित अनुबंध निष्पादित करना।

iv. कार्यान्वयी अभिकरण के नाम से पंजीकृत बिक्री अथवा लीज डीड (15 वर्ष या उससे अधिक लंबी अवधि के लिए) के अनुसार कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा सामान्य सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का प्रबध।

v. कार्यान्वयी अभिकरण के हिस्से के रूप में 10% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र के लिए 5%) राशि की उपलब्धता की पुष्टि।

5.5 नोडल अभिकरण (एनए) को निधि जारी करना:

i) परियोजना लागत में हार्ड एवं सॉफ्ट इंटरवेंशन शामिल होगा। परियोजना लागत में व्यावसायिक टीए की सेवा लागत एवं सक्षम सीडीए नियुक्त करने हेतु आईए द्वारा वहन की गई लागत और नोडल एजेंसी द्वारा भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक अन्य प्रशासनिक लागत शामिल होगा।

ii) एमएसएमई मंत्रालय को एनए द्वारा क्लस्टरवार निधि जारी करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। अनुमोदित कार्य योजना एवं व्यय प्रगति के आधार पर एनए को निधि जारी की जाएगी।

iii) उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर एनए को निधि जारी की जाएगी और एनए को अनुमोदित क्लस्टर/वार्षिक कार्य योजना के अनुसार क्लस्टर को निधि जारी करनी होगी।

iv) एनए को दो शीर्षों के तहत निधि जारी की जाएगी :

i. स्फूर्ति कार्यक्रम निधि
ii. स्फूर्ति प्रशासनिक निधि

v) एनए उपर्युक्त उल्लिखित शीर्षों से प्रत्येक हेतु दो अलग-अलग खाते का रख रखाव करेगा और वो लेखापरीक्षा के अधीन होंगे। योजना और राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों की निगरानी और प्रबंधन से संबंधित सभी व्यय का भुगतान स्फूर्ति प्रशासनिक निधि और शेष व्यय का भुगतान स्फूर्ति कार्यक्रम से किया जाएगा।

5.5.1 जारी निधि की मात्रा: योजना संचालन समिति द्वारा परियोजना को अनुमोदन प्रदान करने के बाद, नोडल एजेंसी द्वारा सॉफ्ट इंटरवेंशन का 50%, हार्ड इंटरवेंशन का 50%, आईए लागत की 50% और टीए लागत की 50% राशि जारी की जाएगी। जारी निधि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने एवं 2/3 वास्तविक उपयोगिता के बाद, नोडल एजेंसी द्वारा सॉफ्ट इंटरवेंशन की शेष 50%, हार्ड इंटरवेंशन की 50%, आईए की लागत की 50% और टीए लागत की 50% राशि जारी की जाएगी।

5.6 आईए को निधि जारी करना :

अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, एनए द्वारा एक स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा और हार्ड इंटरवेंशन की प्रथम किस्त आईए के नाम पर खोले गये समर्पित बैंक खाते में जारी की जाएगी। वहीं एनए द्वारा सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए आईए को आवश्यकता के आधार पर निधि जारी की जाएगी और इसके आंशिक घटक को एसएससी का सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने के बाद आईए को जारी किया जाएगा। हार्ड इंटरवेंशन हेतु योजना निधि जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी :

i. प्रथम किस्त के रूप में भूमि की व्यवस्था हेतु अग्रिम राशि के रूप में हार्ड इंटरवेंशन का 50% ;
ii. द्वितीय किस्त-प्रथम किस्त के 2/3 राशि उपयोग करने के बाद अन्य 50%; और

6. वित्तीय सहायता :

6.1 परियोजना लागत में पैराग्राफ 03 में उल्लिखित हार्ड इंटरवेंशन और सॉफ्ट इंटरवेंशन शामिल होगा। परियोजना लागत में किसी व्यावसायिक तकनीकी अभिकरण की सेवाओं की लागत और सक्षम सीडीए नियुक्त करने हेतु आईए द्वारा वहन किया गया खर्च की गई राशि तथा आईए द्वारा वहन किया गया अन्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होगा।

6.2 किसी भी विशेष परियोजना हेतु प्रदत वित्तीय सहायता अधिकतम 05 (पाँच) करोड़ होगी :

क्लस्टर के प्रकार	प्रति क्लस्टर बजट सीमा
नियमित क्लस्टर (500 कारीगर तक)*	रु.2.50 करोड़
प्रमुख क्लस्टर (500 से अधिक कारीगर)	रु.5.00 करोड़

* नोडल अभिकरण (एनए) द्वारा कम कारीगर/वर्कर वाले क्लस्टर को भी प्रस्तावित किया जा सकता है, लेकिन कारीगरों/वर्करों की संख्या 100 (एनईआर एवं पहाड़ी क्षेत्र हेतु 50) से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामले में, अनुमोदन प्रदान करते समय एसएससी द्वारा समानुपात अनुदान पर विचार किया जा सकता है।

6.3 योजना के तहत निधीयन प्रक्रिया निम्नानुसार है :

	परियोजना इंटरवेंशन	योजना वित्त	वित्तीय सीमा		आईए का शेयर
ए	क्लस्टर इंटरवेंशन			प्रति परियोजना (ए+बी+सी) अधिकतम रु. 05 करोड़	
ए1	सॉफ्ट इंटरवेंशन कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, डिजाईन विकास	100%	हार्ड इंटरवेंशन की 10% राशि अथवा रु. 25 लाख, जो भी कम हो		शून्य
ए2	सीएफसी, आरएमबी, प्रशिक्षण आदि सहित हार्ड इंटरवेंशन *	90%	---		स्वयं के अंशदान के रूप में हार्ड इंटरवेंशन का 10% नगद
बी	टीए की लागत	100%	हार्ड इंटरवेंशन की 8% राशि अथवा रु.30 लाख, जो भी कम हो		शून्य
सी	सीडीए सहित आईए/ एसपीवी की लागत #	100%	हार्ड इंटरवेंशन की 8% राशि अथवा रु.20 लाख, जो भी कम हो		शून्य
* 95%: 5% एनईआर, जम्मू व कश्मीर और पहाड़ी राज्य हेतु। (आईए/एसपीवी एनए के संतुष्टि के अनुसार एक किस्त में चरणबद्ध तरीके से अपना शेयर जमा कर सकती है। # इसमें विगत 03 वर्षों के सीडीए का पारिश्रमिक एवं अन्य आकस्मिक खर्च शामिल होगा।					

6.4 भूमि का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व आईए का होगा। योजना निधि का उपयोग भूमि की खरीद के लिए नहीं किया जाएगा। भूमि की लागत को हार्ड इंटरवेंशन की कुल लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रमोटर द्वारा हार्ड इंटरवेंशन के रूप में 10% योगदान देना होगा।

6.5 पैराग्राफ 3 में सूचीबद्ध इंटरवेंशन सांकेतिक हैं और एसएससी के अनुमोदन के आधार पर डीपीसी में उल्लिखित किसी अन्य आवश्यकता आधारित इंटरवेंशन, इस योजना के तहत वित्त

पोषित होने के लिए पात्र होंगे। ऐसे इंटरवेंशन की प्रकृति सॉफ्ट हो या हार्ड, एसएससी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

6.6 आईए परियोजना के लिए पैरा 9 में उल्लिखित अन्य स्रोतों से निधि प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि एक ही घटक/इंटरवेंशन निधि का दोहराव न हो।

7. प्रशासन एवं योजना प्रबंधन व्यय :

मंत्रालय में प्रशासनिक और योजना प्रबंधन व्यय के लिए कुल बजट आवंटन का 3% निर्धारित किया गया है जिसे स्फूर्ति प्रशासनिक निधि के नाम से जाना जाता है । निधि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी और परियोजनाओं के संचालन के लिए योजना संचालन समिति (एसएससी) की स्वीकृति से उपयोग की जाएगी। इसका उपयोग सभी प्रशासनिक लागतों, निगरानी और मूल्यांकन लागत, स्फूर्ति से संबंधित पत्राचार और स्टेशनरी खर्च, स्फूर्ति गतिविधियों की निगरानी के लिए एनए पदाधिकारियों की यात्रा/एक्सपोजर यात्राओं की लागत, फोटो कॉपीयर, रखरखाव आदि जैसे-कार्यालय स्वचालन उपकरण की खरीद, मंत्रालय और एनए दोनों स्तर पर डेटा प्रबंधन सेवाएं और योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के विकास की आउटसोर्सिंग के लिए उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय और एनए को आवश्यक सहायता और समन्वय प्रदान करने के लिए मंत्रालय में स्फूर्ति प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। यह प्रकोष्ठ निगरानी, मूल्यांकन, विशेष अध्ययन और रिपोर्ट के संचालन, संचालन समिति की बैठकों और अन्य संबंधित गतिविधियों के आयोजन हेतु प्रशासनिक समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7.1 थिमेटिक इंटरवेनशन :

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन को बढ़ावा देने के लिए, एनए द्वारा कुल बजट आवंटन का 5% अतिरिक्त आवंटन का दावा किया जा सकता है। खादी, हर्बल उत्पाद, शहद और योजना के संवर्धन से सीधे जुड़े जैविक खाद्य उत्पाद हेतु राष्ट्रीय स्तर के विपणन अभियान और ब्रांड संवर्धन जैसी गतिविधियों को एसएससी के उचित अनुमोदन से सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य गतिविधियों में सीडीई, आईए का प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर के क्रोड लर्निंग कार्यशाला और क्षेत्र विशेष इनोवेशन, अनुसंधान और विकास पहल शामिल है।

7.2 मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं प्रचार :

योजना कार्यान्वयन के मॉनिटरिंग, मूल्यांकन एवं प्रचार हेतु कुल बजट आवंटन का 2% अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। इसमें नवोन्मेषी एम एंड ई प्रणाली जैसे-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर सामयिक परियोजना समीक्षा और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा थर्ड पार्टी मूल्यांकन एवं प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन शामिल होगा।

8. परियोजना कवरेज एवं अवधि

8.1 परियोजना कवरेज

योजना के कार्यान्वयन के दौरान देश भर में 100 से अधिक क्लस्टर का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 60000 कारीगरों/लाभार्थियों को विभिन्न योजना घटकों के तहत शामिल किया जाना प्रस्तावित है। यह योजना भारत के सभी राज्यों में लागू की जाएगी।

पूरे देश में क्लस्टर के भौगोलिक वितरण का ध्यान रखा जाएगा, जिसमें से कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर), जम्मू व कश्मीर और पहाड़ी राज्यों में होने चाहिए।

पहले चरण में क्लस्टर में कारीगरों के प्रकार और कवरेज के आधार पर समूहों को दो श्रेणियों के तहत चुना जाएगा।

8.2 परियोजना अवधि :

परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 12-18 महीने होगी। डीपीआर में इंटरवेंशन और अपेक्षित निधि को तिमाही वार प्रदान किया जाएगा।

8. कन्वर्जेंस (अभिसरण)

8.1 ग्रामीण क्लस्टर एवं गरीबों के जीविका आधार को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त विनिवेश किया जा रहा है। श्रम कम करने और उसके प्रभाव एवं स्थायित्व बढ़ाने के लिए, यह आवश्यक है कि कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाए और योजना, प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन के आधार पर विभिन्न प्रकार की पहल एवं सरकारी योजनाओं के साथ सहयोग किया जाए। इस योजना में निम्नलिखित स्रोतों से लाभदायक संसाधनों की परिकल्पना की गई है:

i. निजी क्षेत्र की सहभागिता: इस योजना से निजी क्षेत्र के रिटेलर्स को प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड और स्थापित रिटेलर्स नेटवर्क के साथ भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। खादी एवं ग्रामोद्योग, कयर और अन्य उद्योगों से प्राप्त उत्पादों में विशेषज्ञता वाले रिटेलर्स कार्यान्वयन एजेंसी या तकनीकी एजेंसी के रूप में भाग ले सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां निजी क्षेत्र की एजेंसी कार्यान्वयन एजेंसी है, निजी भागीदार भूमि की लागत को छोड़कर परियोजना लागत का कम से कम 50% योगदान देंगे।

ii. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट अपने सीएसआर भाग के रूप में योजना के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता और व्यावसायिक परिचालन एवं प्रबंधन सहायता प्रदान करने के माध्यम से स्फूर्ति कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। एमएसएमई क्लस्टर परियोजनाओं के प्रबंधन के प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड और क्षमता के साथ ऐसे सीएसआर फाउंडेशन आईए या टीए के रूप में भाग ले सकते हैं।

iii. प्राईवेट इक्विटि/इम्पैक्ट निधि द्वारा सहभागिता: सामाजिक विनिवेश वाले क्लस्टर की सहायता हेतु निधि फ़्लोटिंग के लिए वित्तीय संस्थाओं में बढ़ती प्रवृत्ति का लाभ उठाने के

लिए, एसपीवी में सहभागिता हेतु ऐसी निधि को इस शर्त के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा कि उनकी हिस्सेदारी कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होगी। ऋण सहायता के मामले में, अधिस्थगन देने के साथ पेशेंट कैपिटल, ब्याज की कम दर और लचीले पुनर्भुगतान विकल्प पर विचार किया जाएगा।

iv. राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य योजनाएँ: स्फूर्ति योजना के लिए स्वीकृत निधि के अलावा राज्य एवं केंद्र सरकार की अन्य विविध योजनाओं से निधि जुटाने हेतु आईए को प्रोत्साहित किया जाएगा।

v. **बहुपक्षीय विकास बैंक (मल्टी-लेटरल डेवलपमेंट बैंक्स) (एमडीबी) से निधि** : यह परिकल्पना की गई है कि क्लस्टर की स्थिरता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु एमडीबी से अतिरिक्त वित्तीय सहायता सुरक्षित करने हेतु इस योजना से वित्तपोषण किया जाएगा।

8.2 उपरोक्त उल्लिखित हितधारकों की भागीदारी सांकेतिक है । ऐसी किसी भी भागीदारी या सहायता का डीपीआर में उल्लेख किया जाना आवश्यक है और यह एसएससी से अनुमोदन के आधार पर होता है।

8.3 टीए एवं एनए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिसरण को परियोजना के डिजाइन चरण से ही कार्यान्वयन फ्रेमवर्क में रखा जाए । उदाहरण के तौर पर -बैंक एवं आरसेटी ने डीएसआर और कार्य योजना तैयार करने के चरण में उन्हें शामिल करने की आवश्यकता जताई है। मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के खरीदारों के साथ अभिसरण और अन्य प्रमुख हितधारकों को परियोजना के डिजाइन में शामिल किया जाना चाहिए। सार्वजनिक और निजी एजेंसियों से वित्त पोषण भी प्रारंभिक स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए, एसएलबीसी एवं कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समितियों को भी रिपोर्टिंग के माध्यम से लिंक किया जाना चाहिए।

9. स्थिरता

9.1 सीएफसी की देखभाल के लिए कार्यकरणी समिति: यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्फूर्ति के तहत अनुदान से सृजित सुविधाओं और अधोसंरचना को उन्नत उत्पादन और विपणन के लिए कारीगरों के लाभ के लिए स्थायी रूप से प्रबंधित किया गया है । आईए निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक कार्यकरणी समिति का गठन करेगा:

i. आईए का मुख्य कार्यकारी – संयोजक ;
ii. क्षेत्र में परिचालित राष्ट्रीय बैंक के प्रतिनिधि ;
iii. वार्षिक रोटेशन के आधार पर आईए द्वारा नामित 3 कारीगर (कम से कम एक महिला सहित) पाँच वर्ष में पुनः नामांकन की अनुमति नहीं होगी ;
iv. एनए का प्रतिनिधि ; और
v. जीएम, डीआईसी अथवा उनका प्रतिनिधि

कार्यकरणी समिति सीएफसी के परिचालन और रखरखाव पहलुओं की समीक्षा करने और उपयोगकर्ता शुल्क संबंधी निर्णय लेने हेतु महीने में कम से कम एक बैठक करेगी । एसपीवी सीएफसी के रखरखाव के लिए कॉर्पस निधि की स्थापना करेगा और उसका रखरखाव करेगा। उपयोगकर्ता शुल्क कॉर्पस निधि में जमा होगा। कार्यकारी समिति की सिफारिश के आधार पर एसपीवी सीएफसी के रखरखाव/वृद्धि के लिए व्यय कर सकता है।

9.2 क्रेडिट तक पहुंच : आईए क्लस्टर के भीतर गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी सहित क्रेडिट आवश्यकताओं की व्यवस्था करेगा। आवश्यकता होने पर वे कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में व्यक्तिगत समूहों को ऋण भी दे सकते हैं। निकटतम उपलब्ध स्रोत से सर्वोत्तम संभव लागत पर ऋण की व्यवस्था की जाएगी।

9.3 क्लस्टर हेतु व्यावसायिक योजना : आईए के परामर्श से टीए क्लस्टर में स्फूर्ति कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्षों के भीतर आईए द्वारा संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उचित बाजार सर्वेक्षण करने के बाद क्लस्टर हेतु व्यवसाय योजना तैयार की जाएगी ।

10. राज्य सरकार की भूमिका

i. 15 दिनों में इनपुट (यदि कोई हो) प्रदान करने के अनुरोध सहित क्लस्टर स्थापित करने हेतु राज्य सरकार के संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा। यदि कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।

ii. क्लस्टर अधोसंरचना स्थापित करने हेतु परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और खरीद में सहायता करना;

iii. क्लस्टर स्थापित करने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करना और क्लस्टर को बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना;

iv. जहां भी आवश्यक हो बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़कों, अपशिष्ट निपटान आदि जैसी-आवश्यक बाह्य अधोसंरचना उपलब्ध कराना ;

v. अधोसंरचना/औद्योगिक विकास निगम जैसी राज्य सरकार की एजेंसियां भी एसपीवी की इक्विटी की सदस्यता लेकर अथवा अनुदान प्रदान कर परियोजना में भाग ले सकती हैं ;

vi. प्राथमिकता के आधार पर परियोजना संबंधित आवश्यक निकासी प्रमाणपत्र प्रदान करना ;

vii. परियोजना की समग्र प्रभावशीलता एवं व्यवहार्यता हेतु संबंधित योजना के तहत उपलब्ध सहायता को शामिल करना; और

viii. संबंधित औद्योगिक संवर्धनात्मक नीतियों के तहत उपलब्ध प्रोत्साहन प्रदान करना।

ix. राज्य सरकार/संघ राज्य स्फूर्ति के तहत क्लस्टर बनाने हेतु संभावित स्थलों एवं उत्पादों का सर्वेक्षण, मैपिंग और पहचान कर सकते हैं और तदनुसार उन स्थलों पर विशिष्ट उत्पादों/उद्योगों को शामिल करते हुए स्फूर्ति क्लस्टर स्थापित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय से इंटरवेंशन की मांग कर सकता है।

x. राज्य सरकार इन दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 में उल्लिखित किसी भी एनए के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय को ऐसे प्रस्ताव (डीपीआर) भेज सकती हैं। तथापि, जब भी एमएसएमई

मंत्रालय में [संयुक्त सचिव (एआरआई प्रभाग), सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय, कमरा नंबर-171, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 दूरभाष: (011) 23061543 टेलिफ़ैक्स: (011) 23062858 ईमेल-: *js.ari@nic.in*] को इस प्रकार के प्रस्ताव सीधे प्राप्त होते हैं तो सबसे पहले मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी आवंटित की जाएगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी एजेंसी के माध्यम से तैयार की जाएगी और एसएससी के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

11. परिसंपत्ति के परिचालन एवं रखरखाव

11.1 आईए यह सुनिश्चित करेगा कि योजना के तहत सृजित सुविधाओं की सेवाओं को सदस्य उद्यमों के अलावा, सामान्य रूप से क्लस्टर में प्रदान किया जाए।

11.2 आईए परियोजना अवधि के बाद योजना के तहत सृजित परिसंपत्ति के परिचालन एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायी होगा। आईए यह सुनिश्चित करेगा कि इन सुविधाओं के उपयोगकर्ता परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए प्रदत सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं।

11.3 योजना के तहत सरकार द्वारा सहायता स्वीकृति तिथि से 10 साल के भीतर आईए/एसपीवी के विघटन के मामले में, ऐसी सहायता से सृजित परिसंपत्ति सरकार में निहित होगी। इसमें एसपीवी के ज्ञापन और नियमावली में इस शर्त को शामिल किया जाएगा। मानित एसपीवी के मामले में, आईए इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा।

12. मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन

12.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करेगा। नोडल एजेंसी क्लस्टर से भौतिक और वित्तीय प्रगति वाली त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा और इसे नियमित रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) को अग्रेषित करेगा।

12.2 नोडल एजेंसी द्वारा समय-समय पर समीक्षा: टीए द्वारा सहायता प्राप्त एनए एसएससी द्वारा अनुमोदित उपयुक्त निगरानी प्रणाली तैयार करेंगे। क्लस्टर-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति वाले तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अलावा, एनए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य आईसीटी टूल के माध्यम से प्रगति को ट्रैक करेगा।

12.3 योजना का मूल्यांकन: योजना की कमियां निर्धारित और मध्यावधि सुधारात्मक उपाय करने के लिए परियोजनाओं के तीसरे पक्ष मध्यावधि मूल्यांकन करने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के अंत में प्राप्त परिणामों को मान्य करने के लिए क्लस्टर स्तर और कार्यक्रम-स्तर पर प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन भी किये जाएंगे।

12.4 पुरस्कारों के माध्यम से प्रोत्साहन: सभी एनए इस संबंध में एमएसएमई मंत्रालय को प्रस्ताव भेज सकते हैं। पुरस्कार के मूल्यांकन आदि हेतु तृतीय पक्ष सहित उपयुक्त प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी।

13. अस्पष्टता का निवारण

उपरोक्त निहित किसी बातों के बावजूद, केंद्र सरकार उपरोक्त दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकती है। यदि इन प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई या अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार उपयुक्त दिशानिर्देश जारी कर सकती है, जो एनए और आईए के लिए बाध्यकारी होंगे।

13.1 जहाँ तक उक्त दिशानिर्देशों से किसी भी प्रावधान की व्याख्या का संबंध है, इस बारे में योजना संचालन समिति (एसएससी) का निर्णय अंतिम होगा।

*****

अनुलग्नक -1

(पैरा 1.4)

परंपरागत उद्योगों की श्रेणी

1. खादी उद्योग (केआई)

"खादी" का अर्थ है-भारत में हाथ से कते एवं बुने सूती, रेशम अथवा ऊनी अथवा किसी दो अथवा सभी के मिश्रण से निर्मित कपड़ा। खादी उद्योग में हाथ से कते एवं बुने सूती, ऊनी, मसलिन एवं रेशमी किस्म की विनिर्माण इकाई शामिल है।

2. ग्रामोद्योग (वीआई)

ग्रामोद्योग (वीआई) में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग शामिल है, जिसमें बिजली के उपयोग या उसके बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन या सेवा प्रदान की जाती है और प्रति व्यक्ति निर्धारित पूंजी निवेश रुपये 01 लाख से अधिक नहीं है। (पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर, जिसमें रु.1.5 लाख की सीमा है); बशर्ते कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट और ग्रामीण क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में स्थित कोई भी उद्योग और खादी और ग्रामोद्योग आयोग शुरू होने से पूर्व किसी भी समय ग्रामोद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त उद्योग आयोग के अधिनियम के तहत ग्रामोद्योग के रूप में जारी रहेंगे ।

प्रमुख ग्रामोद्योगों की सांकेतिक सूची निम्नानुसार है :

i). खनिज आधारित उद्योग
   ए. कुटीर कुम्हारी उद्योग
   बी. चूना उद्योग

ii). वन आधारित उद्योग
   ए. औषधीय पादप उद्योग
   बी. मधुमक्खी पालन
   सी. लघु वन आधारित उद्योग

iii). कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
   ए. दलहन व अनाज प्रसंस्करण उद्योग
   बी. गुड व खांडसारी उद्योग
   सी. पामगुड उद्योग

डी. फल व सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

ई. ग्रामीण तेल उद्योग

iv). पॉलीमर एवं रसायन आधारित उद्योग

ए. कुटीर चर्म उद्योग

बी. अखाद्य तेल व साबुन उद्योग

सी. कुटीर माचिस उद्योग

डी. प्लास्टिक उद्योग

v). ग्रामीण अभियंत्रिकी व जैव- प्रौद्योगिकी उद्योग

ए. गैर-परंपरागत ऊर्जा

बी. बढ़ईगिरी व लोहरगिरी

सी. इलेक्ट्रॉनिक्स

vi). हस्त निर्मित कागज व रेशा उद्योग ;

ए. हस्तनिर्मित कागज उद्योग

बी. रेशा उद्योग

vii). सेवा एवं वस्त्र उद्योग

ए. परिधान एवं वस्त्र

बी. एंब्रोडरी एवं सरफेस ओरनामेंट

सी. फेब्रिक एवं यार्न ड़ाईंग

डी. सेवा

आज खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) उत्तम, विरासत उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है, जो 'जातीय' एवं नैतिक है। समाज के मध्य और उच्च वर्गों के लोग इसके संभावित मजबूत ग्राहक हैं।

3. कयर उद्योग (सीआई)

कयर उद्योग कृषि-आधारित परंपरागत उद्योग है, जिसकी उत्पति केरल राज्य में हुई है और अब यह अन्य नारियल उत्पादक राज्यों जैसे-तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा, आदि में स्थापित हो चुका है। विविध प्रयोजन वाले नारियल का उप-उत्पाद कयर का मैट, रस्सियाँ आदि बनाने में सदियों पुराना उपयोग होता रहा है। कयर उद्योग 07 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। फाइबर निष्कर्षण और कताई क्षेत्रों में लगभग 80% कयर श्रमिक महिलाएं हैं। प्राकृतिक उत्पत्ति सहित पर्यावरण के अनुकूल होने के नाते, कयर उद्योग निर्यातोन्मुख उद्योग है और इसमें तकनीकी इंटरवेंशन एवं कयर जियोटेक्सटाइल्स जैसे विविध उत्पादों आदि के माध्यम से मूल्य संवर्धन द्वारा निर्यात बढ़ाने की अधिक संभावनाएं हैं।

अनुलग्नक -2

(पैरा 4.1)

योजना संचालन समिति (एसएससी) का गठन

1	सचिव,एमएसएमई मंत्रालय	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)	सदस्य
3	अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एएस एवं एफए), एमएसएमई मंत्रालय (अथवा एक प्रतिनिधि)	सदस्य
4	मुख्य सलाहकार, पीएएमडी, नीति आयोग	सदस्य
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी	सदस्य
6	सचिव, कयर बोर्ड	सदस्य
7	इंडियन बैंक एसोसिएसन (आईबीए) के प्रतिनिधि	सदस्य
8	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि	सदस्य
9	5 क्लस्टर विशेषज्ञ – एमएसएमई मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा	सदस्य
10	डीसी (हैंडलूम)	सदस्य
11	डीसी (हैंडीक्राफ्ट)	सदस्य
12	संयुक्त सचिव (एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
13	संयुक्त सचिव, एमएसएमई मंत्रालय	सदस्य/संयोजक

अनुलग्नक **-3**

[पैरा 4.2.5 (ए)]

नये नोडल एजेंसी हेतु आवेदन प्रोफॉर्मा

1. कार्यकारी सारांश :

2. मुख्य/प्रायोजक संगठन की पुष्टि **(**अनुलग्नक-1 देखें):

3. **संस्था/संगठन का नाम :**

पता, दूरभाष, फ़ैक्स :

4. **संगठन प्रमुख का नाम एवं पदनाम :**

पता, दूरभाष, मोबाईल, ई-मेल :

5. **स्फूर्ति समन्वयक का नाम, पदनाम एवं संपर्क विवरण :-**

पता, दूरभाष, मोबाईल, ई-मेल :

6. **सहभागी संस्था की सामान्य जानकारी :**

I. संगठन की संवैधानिक स्थिति (पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें) और क्या यह राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है

II. स्थापना की तिथि एवं पंजीकरण उद्देश्य का सारांश

III. संचालक मंडल /निदेशक मंडल की सूची

IV. कार्य क्षेत्र

V. प्रमुख नियमित दाता (यदि कोई हो)

VI. विद्यमान औपचारिक एमओयू/लिंकेज वाले संगठन की सूची

VII. अंतिम वार्षिक आम बैठक की तिथि (बैठक का कार्यवृत संलग्न करें)

VIII. विगत 03 वर्षों का वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण एवं आईटी रिटर्न संलग्न करें

7. **स्फूर्ति के तहत मेजबान क्लस्टर की सहभागी संस्था की तैयारी :**

I. क्लस्टर की स्थापना हेतु चिन्हित संस्था से स्फूर्ति समन्वयक का अनुभव और विशेषज्ञता (संक्षिप्त सीवी /बायो-डेटा संलग्न करें, डोमेन विशेषज्ञता वाले व्यक्ति और नवाचार और उद्यमिता के लिए वैचारिक समझ और गहरी रुचि रखने वाले क्लस्टर को चलाने के लिए तब तक प्राथमिकता दी जाएगी, जब तक कि वह शुरू न हो जाए और इसके बाद एनए और क्लस्टर के बीच सक्रिय इंटरफ़ेस होगा) ।

II. नीचे दी गई तालिका अनुसार विगत तीन वर्षों में की गई परियोजनाओं की सूची, यदि कोई हो :

क्लस्टर/परियोजना का नाम	प्रायोजक एजेंसी	स्वीकृत राशि (रु. में)	जारी निधि (रु. में)	अवधि	परिणाम

III. पुरस्कार और मान्यता (विगत 05 वर्ष): प्राप्त मान्यता और पुरस्कार का विवरण (महत्वपूर्ण)।

IV. नवाचार और उद्यमिता में कोई अन्य उल्लेखनीय गतिविधियाँ :

- उत्पाद के विकास/विवरण दें।
- क्लस्टर संबंधित गतिविधियों में प्रासंगिक क्लस्टर विकास कार्यक्रमों (पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रतियोगिताओं, व्याख्यान आदि) के उद्यमशीलता अभिविन्यास सहित कर्मचारी या सहभागी संगठन।

8. क्लस्टर की सुविधा :

मेजबान क्लस्टर में संस्था की दृढ़ता और तैयारियों पर विवरण :

- मेजबान क्लस्टर के आयोजन हेतु शक्ति
- स्थान का समग्र व्यावसायिक वातावरण और क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र
- क्लस्टर की जरूरतों का आकलन
- क्लस्टर में नए कारीगरों को शामिल करने के स्रोत
- 2/3 वर्ष बाद क्लस्टर के परिचालन में स्थिरता के लिए एनए का वित्तीय मॉडल, क्योंकि एमएसएमई की सहायता पहले दो वर्षों के लिए ही उपलब्ध है और क्लस्टर परियोजनाओं के निर्माण में अन्य संगठनों जैसे- तकनीकी एजेंसी और कार्यान्वयन एजेंसी के उचित अनुमोदन क्षमता के आधार पर एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

9. तीन वर्षों की वर्ष-वार योजना (विस्तृत कार्य योजना के साथ एक अलग समयबद्ध गतिविधि चार्ट प्रदान किया जाए)

10. लक्ष्यांक सीमा (सबसे उपयुक्त प्राप्य लक्ष्यांक के आधार पर अनुमानित किया जाए)

परिणाम	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5	कुल
क) क्लस्टर के एक भाग के रूप में शामिल किये जाने वाले कारीगरों की संख्या						
ख) बहुउत्पाद क्लस्टर के मामले में चिन्हित व प्रोफाईल किये जाने वाले उत्पादों की संख्या						
ग) सॉफ्ट इंटरवेंशन की प्रकृति-						

व्यय एवं परिणाम सहित भौतिक

12. क्लस्टर की स्थिरता हेतु राजस्व सृजन अनुमान

क्रं	राजस्व सृजन के	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	कुल
	कुल						

संस्था/एजेंसी प्रमुख के नाम व हस्ता/-

स्फूर्ति समन्वयक के नाम व हस्ता/-

दिनांक :

स्थान :

संस्था/संगठन प्रमुख से पृष्ठांकन (लेटर हेड पर)

1. हमने स्फूर्ति हेतु अनुदान योजना के नियमों और शर्तों का गहन अध्ययन किया है और इसके अनुपालन हेतु सहमत हैं।
2. हमने वित्तीय या अन्य सहायता हेतु किसी अन्य एजेंसी को इसे या ऐसे किसी भी परियोजना प्रस्ताव को न तो प्रस्तुत किया है और न ही प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदि हमें कोई सहायता प्राप्त होगी, तो एमएसएमई मंत्रालय को सूचित करेंगे।
3. हम घोषणा करते हैं कि योजना के तहत एनए के रूप में चयनित होने पर 3 महीने के भीतर दिशानिर्देश के अनुसार एनए को एक पंजीकृत सोसायटी/धारा 8 कंपनी के रूप में पंजीकृत करेंगे।
4. यह प्रमाणित करते हैं कि क्लस्टर को सफलतापूर्वक चलाने हेतु आवश्यक हार्डवेयर, अन्य मौलिक सुविधा एवं प्रशासनिक सहायता अनुदान की शर्तों के अनुसार एनए को दी जाएगी।
5. हम एनए और टीए के एमओयू के मसौदा दिशानिर्देश के टेम्पलेट के अनुसार क्लस्टर का संपूर्ण कार्य पूरा करने हेतु चयनित तकनीकी एजेंसी के साथ एमओयू करेंगे।
6. हम आवश्यकतानुसार प्रगति रिपोर्ट, विवरण, उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि को प्रस्तुत करने की घोषणा करते हैं।
7. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... प्रस्तावित क्लस्टर के स्फूर्ति समन्वयक होंगे। स्फूर्ति समन्वयक परियोजना के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व लेंगे।
8. हमारा संगठन एमएमएसएमई के वित्तीय सहायता के 2/3 वर्षों से बाद क्लस्टर की पूर्ण वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन जिम्मेदारियों और क्लस्टर के सफल संचालन का आश्वासन देता है।
9. यदि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किसी भी समय उपरोक्त में से कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो संगठन एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी सम्पूर्ण राशि वापस करने हेतु उत्तरदायी है।

दिनांक .....

संस्था/एजेंसी प्रमुख का नाम, हस्ताक्षर

एवं मोहर

स्थान .....

अनुलग्नक -4

[पैरा 4.2.5 (सी)]

एमएसएमई मंत्रालय/भारत सरकार से वित्तपोषित एजेंसियों के अलावा नोडल एजेंसी हेतु अनुदान सहायता की नियम और शर्तें

1. भारत सरकार के महालेखा-नियंत्रक (सीजीए) के नवीनतम निर्देश के अनुसार, अनुदानकर्ता संस्था को सीजीए वेबसाइट (http://pfms.nic.in) पर पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिसे निधि जारी करने की सुविधा के लिए पीएफएमएस के 'ईएटी मॉड्यूल' के तहत पंजीकृत किया जाना है।

2. सार्वजनिक अनुदान प्राप्त संस्थाओं के अलावा सभी अनुदान प्राप्त संस्थाओं को कोई भी अनुदान-सहायता जारी होने से पूर्व गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बॉन्ड (निर्धारित प्रोफार्मा में) निष्पादित करना आवश्यक है ।

3. जारी किया जा रहा अनुदान विशेष रूप से उसी उद्देश्य हेतु निर्धारित समय के भीतर खर्च किया जाना चाहिए, जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई है। स्वीकृत राशि से किसी भी अखर्चित राशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी, एमएसएमई मंत्रालय, नई दिल्ली को देय एकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भारत सरकार को वापस की जाएगी।

4. अनुदानकर्ता को भारत सरकार की वित्तीय नियमावली के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में और अनुदान की अन्य किस्तों, यदि कोई हो, की मांग के समय एमएसएमई मंत्रालय को निर्धारित प्रोफार्मा में (i) प्रगति रिपोर्ट और (ii) उपयोगिता प्रमाणपत्र की दो-दो प्रतियां भेजना अनिवार्य है।

5. अनुदानकर्ता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में स्वीकृत राशि से संबंधित खातों के लेखा परीक्षित विवरण की दो प्रति एमएसएमई मंत्रालय को भेजना आवश्यक है।

6. अनुदान से प्राप्त या सृजित सभी संपत्ति सरकार की संपत्ति होगी। एमएमएसएमई मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना अनुदान स्वीकृति के उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य हेतु निपटान या निर्माण या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

7. परियोजना के समापन पर, भारत सरकार ऐसी संपत्तियों को बेचने या अन्यथा निपटान हेतु स्वतंत्र होगा, जो सरकार की हैं । संस्था इन परिसंपत्तियों की बिक्री की व्यवस्था हेतु आवश्यक सरकारी सुविधाएं प्रदान करेगी।

8. संस्था भारत सरकार के प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार एमएसएमई मंत्रालय को अनुदान से संबंधित खाते का उपयोगिता प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगी।

9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) को सरकार से प्राप्त अनुदान के खाते बही की स्व-विवेक से जांच करने का अधिकार होगा।

10. अनुदानकर्ता अनुदान के लिए अलग लेखा परीक्षित खाते का रखरखाव करेगा। जारी निधियों को ऐसे बैंक खाते में रखा जाना चाहिए जिसमें ब्याज मिलता हो, अर्जित ब्याज के बारे में एमएसएमई मंत्रालय को सूचित किया जाना चाहिए । इस प्रकार अर्जित ब्याज को अनुदान की अगली किस्त (यदि कोई हो) को समायोजित किये जाने वाले संगठन के लिए ऋण के रूप में माना जाएगा ।

11. अनुदानकर्ता को उस कार्य का कार्यान्वयन नहीं सौंपना चाहिए, जिसके लिए किसी अन्य संस्था को अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है और बाद वाली संस्था की सहायता हेतु प्राप्त अनुदान को डाईवर्ट नहीं करना चाहिए। यदि अनुदानकर्ता स्वयं परियोजना को निष्पादित करने या पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके द्वारा प्राप्त अनुदान की पूरी राशि भारत सरकार को वापस करना आवश्यक है ।

12. एमएसएमई मंत्रालय को यह अधिकार है कि वह अनुदान का सही उपयोग अथवा परियोजना कार्य में उचित प्रगति नहीं होने पर किसी भी स्तर पर परियोजना की सहायता समाप्त कर सकता है।

13. अनुदान प्राप्त संस्था द्वारा स्वीकृत विशेष शर्तों के तहत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की गई है और यदि संस्था इन शर्तों का अनुपालन नहीं करती है, तो वह पहले से प्राप्त अनुदान को सरकार की आवश्यकतानुसार वापस करने हेतु उत्तरदायी होगी और ऐसी संस्था को एमएसएमई के दूसरे अनुदान की अनुमति नहीं होगी।

14. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदानकर्ता संस्था द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के प्रति एमएसएमई मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

15. दुर्घटना, आग या किसी अन्य कारणों से किसी भी जान-माल के नुकसान के मामले में एमएसएमई की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। परियोजना से संबंधित मानव जीवन और संपत्ति को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए नोडल एजेंसी को उचित सुरक्षा और बीमा उपाय करने की आवश्यकता है ।

16. एमएसएमई मंत्रालय नोडल एजेंसी द्वारा विनियामक/संवैधानिक आवश्यकता की किसी भी भूल-चूक हेतु उत्तरदायी नही होगा ।

अनुलग्नक -5

(पैरा 4.2.6)

ए. आयोग कयर बोर्ड हेतु/परियोजना संचालन समिति का गठन (पीएससी)

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी/अध्यक्ष-कयर बोर्ड	अध्यक्ष
2.	वित्तीय सालहकार	सदस्य
3.	प्रभारी अधिकारी, विपणन	सदस्य
4.	बैंक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	3 क्लस्टर विशेषज्ञ (टीए से 2 और आईए से 1) – एनए द्वारा नामित किया	सदस्य
7.	निदेशक (स्फूर्ति)-केवीआईसी/सचिव – कयर बोर्ड	सदस्य/ संयोजक

बी. केवीआईसी/ कयर बोर्ड के अलावा एनए के लिए प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (पीएससी) की संरचना

केवीआईसी और कयर बोर्ड के अलावा अन्य एजेंसियां भी एक पीएससी का गठन करेंगी, जिसमें 3 क्लस्टर विशेषज्ञ (2 टीए और 1 आईए से), बैंक के प्रतिनिधि और विपणन और वित्तीय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

अनुलग्नक -6

(पैरा 4.2.7)

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) हेतु टेम्पलेट

डीपीआर के मुख्य खंडों/अध्यायों की सांकेतिक सूची निम्नानुसार है :

भाग-II

1. क्लस्टर प्रोफाईल
2. क्लस्टर वैल्यू चैन मैपिंग
3. विपणन मूल्यांकन एवं मांग विश्लेषण
4. आवश्यक अंतराल विश्लेषण
5. कार्यान्वयी एजेंसी का प्रोफाईल

भाग- II

6. परियोजना अवधारणा एवं कार्यनीति फ्रेमवर्क
7. परियोजना इंटरवेंशन (कोर स्फूर्ति)
8. सॉफ्ट इंटरवेंशन
9. हार्ड इंटरवेंशन
10. परियोजना लागत एवं वित्त के साधन (कोर स्फूर्ति)
11. पहल के अभिसरण हेतु योजना
12. बढ़ी हुई परियोजना लागत एवं वित्त के साधन
13. परियोजना की समय-सीमा
14. विस्तृत व्यवसाय/कार्य योजना
15. प्रस्तावित कार्यान्वयन फ्रेमवर्क
16. स्थायित्व की योजना
17. अपेक्षित प्रभाव